प्रा0पत्र / 01 / 2025

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

थानाधिकारी, पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर

बनाम ......प्रार्थी0

1—श्री मुबारिक पुत्र समरू जाति मेव उम्र 39 साल निवासी झरोकरी जिला नूंह हरियाणा (वाहन मालिक)

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 331 / 2023 धारा 5,6व 8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :—

1—ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2—श्री मुकीमखान अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 17.12.2025

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना बयाना जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4.11.2024 को मुखविर से मिली सूचना कि गांव खोहरा बछैना के जंगल में कुछ अज्ञात लोग गायों की गौतस्करी करके ले जा रहे हैं। इत्तला पर मन क्यूआरटी इंचार्ज मय जाप्ता के झील से रवाना होकर मुखबिर की सूचना पर गांव खोहरा बछैना के जंगल में समय करीब 12.15 एएम पर पहुंचा तो अज्ञात व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर भाग गये मौके पर 12 चक्का ट्रक RJ 32 GB 9131 जंगल में खड़ा मिला। ट्रक की बॉडी को चैक किया तो उसके अंदर 22 गौवंश भरा हुआ था जिनमें करीब 17 साडं व 05 गायें बुरी तरह ठूंस ठूंसकर भरी हुई थी, जिनके पैर व मुंह रस्सी से बंधे हुये मिले तथा ट्रक की कैबिन में एक प्लास्टिक कैन में हथकड़ शराब भी मिली। गौ तस्कर पुलिस के डर से अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गये टॉर्च की सहायता से गौतस्करों को तलाश किया तो 4—5 खेत आगे करीब 81 गायें व साडं रस्सीयों से बधें हुये खेत में

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

मिले। गौवंश को गौकशी करने के लिये ले जाया जा रहा था। ट्रक में से जप्त शुदा गौवंश को बृजधाम जीव सेवा सदन गौशाला जसवंत प्रदर्शनी हीरादास भरतपुर में दाखिल कराया गया, तथा खेत में मिले 81 गौंवश (50 गायें व 31 सांड) को हनुमान गौशाला रुदावल में दाखिल कराया गया। चालक व वाहन मालिक द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5, 6/8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आना पाये जाने पर जप्त ट्रक 12 चक्का रजि0 नम्बर RJ 32 GB 9131 को चौकी झील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से जमा कराया गया। अप्रार्थी गौतस्करों का यह कृत्य आरबीएएक्ट की धारा 5,6/8 एवं ट्रक की कैबिन से जप्त हथकड़ देशी शराब के बाबत आबकारी अधिनियम धारा 16/54 के तहत दण्डनीय अपराध है जिस पर मुकदमा नम्बर 275/2024 पंजीबद्व किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। जप्त शुदा वाहन के वाहन मालिक की ओर से अभिभाषक मुकीम खान ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि गौवंश के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर 4.11.2024 कि गांव खोहरा बछैना के जंगल में कुछ अज्ञात लोग ट्रक में गौवंश को भर कर ले जा रहे हैं उक्त सूचना पर मौके पर जाकर जांच की तो पाया मौके पर एक ट्रक संख्या RJ 32 GB 9131, 12 चक्का ट्रक मिला जिसको चैक करने पर ट्रक की बाडी के अन्दर 22 गौवंश जिनमें करीब 17 साडं व 05 गायें बुरी तरह ठूंस ठूंसकर भरी हुई थी, जिनके पैर व मुंह रस्सी से बंधे हुये मिले तथा ट्रक की कैबिन में एक प्लास्टिक कैन में हथकड़ शराब भी मिली। 4–5 खेत दूर करीब 81 गायें व साडं रस्सीयों से बधें हुये खेत में मिले। गौवंश को गौकशी करने के लिये ले जाया जा रहा था। ट्रक में से जप्त शुदा गौवंश को बृजधाम जीव सेवा सदन गौशाला जसबंत प्रदर्षनी हीरादास भरतपुर में दाखिल कराया गया, तथा खेत में मिले 81 गौंवश (50 गायें व 31 सांड) को हनुमान गौशाला रुदावल में दाखिल कराया गया। चालक व वाहन मालिक द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5,6/8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आना पाये जाने पर जप्त ट्रक 12 चक्का रजि0 नम्बर RJ 32 GB 9131 को चौकी झील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से जमा कराया गया। अप्रार्थी गौतस्करों का यह कृत्य आरबीएएक्ट की धारा 5,6/8 एवं ट्रक की कैबिन से जप्त हथकड़ देशी शराब के बाबत आबाकारी अधिनियम धारा 16/54 के तहत दण्डनीय अपराध है जिस पर मुकदमा नम्बर 275/2024 पंजीबद्व किया गया है।

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

ए.पी.पी. का तर्क है कि जप्त शुदा वाहन को गौकशी परिवहन तस्करी में उपयोग में लिया जा रहा था। प्रार्थना पत्र धारा 6 ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी0 के खिलाफ थाना अधिकारी बयाना द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़ंत है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि ट्रक नम्बर आरजे–32 जी.बी. 9131 का रजिस्टर मालिक मुबारिक पुत्र समसू जाति मेव उम्र 39 साल निवासी झरोकरी जिला नूंह हरियाणा है। इनका गौवंश परिवहन से कोई लेना देना नहीं है। जप्त वाहन थाना परिसर में खड़ा हुआ है। थाना अधिकारी बयाना ने झूठां प्रकरण धारा 6 ए गौवंश अधिनियम में दर्ज कर प्रार्थीगण के वाहन जप्त कर लिया है। वाहन चालक जमानत पर छूटा हुआ है। पुलिस थाना बयाना को ट्रक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी वाहन मालिक को अपने व्यवसायिक कार्यों हेतु वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी का वाहन खुले में खड़ा हुआ है, जिसके धूप व वर्षात में खराब होने की संभावना है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी वाहन मालिक निर्दोष है इनका गौतस्करी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस द्वारा ट्रक से गौवंश जप्ती की कोई वीडियो ग्राफी नहीं कराई गई है। प्रकरण को समाप्त किया जावे । प्रार्थी का जप्त वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। गौवंश अधिनियम में दिये गये प्रावधानों अध्ययन किया गया। **उक्त अधिनियम की धारा 6** Transporter to be abettor:–

"......Whenever the bovine animals are transported by any means of transport in furtherance of the object of commission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence........"

The Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

"Burden of proof :- Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

दिनांक 4.11.24 को पुलिस थाना बयाना द्वारा गांव खोहरा बछैना के जंगल में ट्रक में अज्ञात लोगों को गौवंश को भर कर परिवहन करते हुये पकड़ा गया है। मौके पर एक ट्रक 12 चक्का रजि0 संख्या RJ 32 GB 9131 मिला जिसको चैक करने पर ट्रक की बाडी के अन्दर 22 गौवंश (जिनमें करीब 17 साडं व 05 गायें) बुरी तरह

...........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

ठूंस ठूंसकर भरी हुई थी, जिनके पैर व मुंह रस्सी से बंधे हुये मिले तथा ट्रक की कैबिन में एक प्लास्टिक कैन में हथकड़ शराब भी मिली। 4–5 खेत दूरी पर करीब 81 गायें व सांड रस्सीयों से बधें हुये खेत में मिले। गौवंश को गौकशी करने के लिये ले जाया जा रहा था। ट्रक में से जप्त 22 गौवंश को वृजधाम जीव सेवा सदन गौशाला जसबत प्रदर्षनी हीरादास भरतपुर में दाखिल कराया गया, तथा खेत में मिले 81 गौवंश (50 गायें व 31 सांड) को हनुमान गौशाला रुदावल में दाखिला कराया गया। जप्त 12 चक्का ट्रक अवैध रुप से गौवंश को तस्करी के लिये परिवहन में लिप्त पाया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कहना कि थाना पुलिस ने गलत रुप से ट्रक जप्त किया है, योग्य अभिभाषक ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं जिस से जप्त ट्रक का रुट अन्य जगह हो या उसकी उपलब्धता मौक पर जप्ती समय अन्य जगह थी। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि पुलिस ने मौके की जप्ती की विडियो ग्राफी नहीं की, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पुलिस थाना द्वारा फर्द जप्ती तारीखी में जप्ती के सम्बन्ध में वीडियो व फोटो ग्राफी किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है, इस पर योग्य अभिभाषक ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। योग्य अभिभाषक द्वारा गौवंश को परिवहन करने का सक्षम अधिकारी का कोई प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द जप्ती, बयान, एवं जप्त किये गये गौवंश को गौशाला में दाखिल कराये जाने की रसीद से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन 12 चक्का ट्रक रजि0 नम्बर RJ 32 GB 9131 गौवंश परिवहन में लिप्त था, मौका चालक व वाहन मालिक द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5,6/8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आना पाये जाने पर जप्त ट्रक 12 चक्का नम्बर RJ 32 GB 9131 को चौकी झील परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से जमा कराया गया। अप्रार्थी गौतस्करों का यह कृत्य आरबीएएक्ट की धारा 5,6/8 के तहत दण्डनीय अपराध है जिस पर मुकदमा नम्बर 275/2024 पंजीबद्ध किया गया है।

जहॉ तक प्रश्न ट्रक की कैबिन से जप्त हथकड़ देशी शराब (आबाकारी अधिनियम धारा 16/54) का है इस बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन ट्रक 12 चक्का रजि0 नम्बर RJ 32 GB 9131 गौवंशीय पशु को गौवध तस्करी के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाता है।

..........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया, उक्त धारा 6ए में व्यवस्था दी गई है :–

(3– Insertion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exissting section 6 and before the existing section 7 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.......... Provided also that before ordering confiscation under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.)

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन संख्या ट्रक 12 चक्का रजि0 नम्बर आरजे–32 जी.बी. 9131 पर राशि रू. 1,00,000/– (शब्देन एक लाख रुपये मात्र) का जुर्माना (Fine) लगाया जाता है। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः राजसात (confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। उक्त जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त वाहन ट्रक 12 चक्का रजि0 नम्बर आरजे–32 जी.बी. 9131 जुर्माना (Fine) राशि 1,00,000/– (शब्देन एक लाख रुपये मात्र) यदि वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर राजकोष में जमा करादे तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना बयाना को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर